न्यायालय – पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क. : - 329 / 2013) (संस्थित दिनांक :- 14 / 06 / 13)

म.प्र.राज्य,	
द्वारा आरक्षी केन्द्र –	मालनपुर
जिला—भिण्ड, म.प्र.	

.....अभियोजन।

## <u>// विरूद्ध //</u>

01. नदीम खॉन पुत्र शमशाद खॉन उम्र 25 वर्ष निवासी : नहर मौहल्ला, वार्ड क्रमांक 08 गोहद, जिला—भिण्ड (म.प्र.)।

.....अभियुक्त।

<u>// निर्णय//</u> ( आज दिनांक :- 24/12/2016 को घोषित)

01. आरोपी नदीम पर धारा :— 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक :— 08/05/2013 को सुबह लगभग 09:00 बजे भदौरिया पेट्रोल पम्प के सामने गुरीखा भिण्ड—ग्वालियर लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के ट्रेक्टर कमांक सी.आई.जी./3903 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर फरियादी राजेन्द्र के भतीजे पूरन की मोटर साईकिल कमांक एम.पी.06/एम.एफ./4669 में टक्कर मारकर उस पर सवार गुड्डी को उपहति एवं आहत पूरन को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की।

- 02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नही हैं।
- 03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :— 08/05/2013 को सुबह लगभग 09:00 बजे भदौरिया पेट्रोल पम्प के सामने गुरीखा भिण्ड—ग्वालियर रोड़ सार्वजिनक स्थान पर, नीले रंग के स्वराज ट्रेक्टर के चालक द्वारा फरियादी राजेन्द्र सिंह के भतीजे पूरन की मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.06/एम.एफ./4669 में टक्कर मारकर मारकर उसपर सवार पूरन एवं गुड़डी को उपहित कारित करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी राजेन्द्र द्वारा थाना मालनपुर पर की जाने पर, थाना मालनपुर में उक्त स्वराज ट्रेक्टर के चालक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 96/2013 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान ६ । टनास्थल का नक्शा—मौका बनाया गया। आहत पूरन के एक्स—रे परीक्षण रिपोर्ट में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने के कारण आरोपी चालक के विरूद्ध धारा 338 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। घटनास्थल से नीले रंग का ट्रेक्टर को जब्त कर जब्ती पत्रक बनाया गया। दिनांक : 30/05/2013 को जब्तशुदा वाहन के संबंध में वाहन मालिक

का प्रमाणीकरण लेखबद्ध किया गया। आरोपी नदीम को दिनांक : 30/05/2013 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। आरोपी से जब्तशुदा टेक्टर का रिजस्ट्रेशन एवं आरोपी नदीम के ड्रायविंग लाईसेंस की फोटो प्रति जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। फिरयादी राजेन्द्र सिंह, आहत पूरन, गुड्डी एवं साक्षी गजेन्द्र के कथन लेखबद्ध किए गये। तदोपंरात विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 04. अभियुक्त नदीम के विरूद्ध धारा 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।
- 05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूंठा फंसाया जाना व्यक्त किया।
- 06. न्यायिक विनिश्चय हेत् प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपी नदीम ने दिनांक :— 08/05/2013 को सुबह लगभग 09:00 बजे भदौरिया पेट्रोल पम्प के सामने गुरीखा भिण्ड—ग्वालियर रोड़ सार्वजनिक स्थान पर, उसके आधिपत्य के ट्रेक्टर क्रमांक सी.आई.जी./3903 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?
- 02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर पूरन की मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 06 / एम.एफ. / 4669 में टक्कर मारकर उस पर सवार गुड्डी को उपहति एवं आहत पूरन को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की?
  - 03. अंतिम निष्कर्ष?

## <u>सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष</u> विचारणीय बिन्दु कमांक :– 01 एवं 02

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

इन विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में फरियादी राजेन्द्र सिंह अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 16 / 06 / 2014 से लगभग एक साल पहले की सुबह 08—09 बजे की है। घटना की तारीख उसे याद नहीं है। साक्षी आगे कहता है कि वह घटना वाले दिन ग्रीखा चौकी के पास में पेट्रोल लेने के लिए आया था। घटना वाले दिन उसका लड़का अपनी ध ारवाली को लेकर ग्वालियर से आ रहा था। गोहद की तरफ से एक ट्रेक्टर जा रहा था, ट्रेक्टर वाले ने लहराते हुए उसके लड़के की मोटर साईकिल में टक्कर मार दी थी, टक्कर लगने से उसका लड़का एवं बहू गिर गये थे। ट्रेक्टर नीले रंग का स्वराज कम्पनी का था, ट्रेक्टर पुराना था। ट्रेक्टर वाला ट्रेक्टर को मौके से भगा ले गया था। साक्षी आगे कहता है कि ट्रेक्टर वाला मौके से भाग गया था और वह मोटर साईकिल से आरोपी के पीछे भागे थे। वहाँ पर आरोपी को पकड लिया और थाने ले गये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मालनपुर में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके लड़के एवं बहू का मेडीकल कराया था। पुलिस ने घटना के बारे में उससे पुछताछ की थी। साक्षी आगे कहता है कि उसने आरोपी को पकडते समय उसका नाम नहीं पूछा था। उसे थाने पर पकड़ लिया था और पुलिस ने उसे कुटईयाँ में बंद कर दिया था। साक्षी आगे कहता है कि वह आरोपी को नहीं पहचान सकता, क्योंकि उसने आरोपी को घटना के समय थोड़ी देर के लिए देखा था और घटना को काफी समय हो गया है।

प्रति–परीक्षण के पद क्रमांक 02 में राजेन्द्र अ.सा.01 का कहना है कि आरोपी को एक्सीडेंट होने के बाद घटनास्थल से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लिया गया था। आरोपी को जनता द्वारा रोका गया था। उल्लेखनीय है कि प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो कि घटना की लगभग तुरन्त पश्चात् दिनांक : 08 / 05 / 2013 को सुबह 10 बजे थाना मालनपुर पर लेखबद्ध कराई गई है, में कहीं पर भी आरोपी चालक का नाम या दुर्घटनाकारित करने वाले ट्रेक्टर का नम्बर उल्लेखित नहीं है। यदि फरियादी राजेन्द्र अ.सा.०१ या आमजनों में से किन्हीं व्यक्तियों द्वारा आरोपी को घटना के तत्काल पश्चात पकड लिया गया होता और थाने पर उसे लेकर पहुँच गये होते तो निश्चय ही प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में आरोपी का नाम उल्लेखित होता। फरियादी राजेन्द्र अ.सा.०१ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मुख्य परीक्षण तथा प्रति–परीक्षण में स्पष्ट रूप से यह कहना है कि यदि आरोपी को उसके सामने भी खड़ा कर दिया जाये तो वह आरोपी को नहीं पहचान पायेगा क्योंकि उसने घटना के समय आरोपी को थोड़ी देर के लिए देखा था एवं घटना को काफी समय हो चुका है। इस प्रकार फरियादी राजेन्द्र अ.सा.०१ के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं ह्ये है जो दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी नदीम की पहचान को प्रकट करते हो।

- साक्षी / आहत पूरन अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 08 / 05 / 2013 की सुबह 09 बजे की है। वह अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर से आ रहा था। जैसे ही वह गुरीखा पेट्रोल पम्प के पास पहुँचा तो एक ट्रेक्टर वाला स्पीड़ से लहराता हुआ आया और उसकी बाइक से टकरा गया, जिससे उसका पैर टूट गया एवं उसकी पत्नी का हाथ टूट गया। उसके बाद वह घटना में गैरहोश हो गया था। उसके बाद उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी, ना ही घटनास्थल पर आई थी। साक्षी आगे कहता है कि उसे ध ाटना की जानकारी नहीं है, लेकिन घर वालों ने उसे बताया था कि तुमको एम्बूलेंस से बिरला हॉस्पीटल ले जाया गया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर पूरन अ.सा.02 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि ट्रेक्टर का रंग नीला था एवं ट्रेक्टर लहराता हुआ आ रहा था। साक्षी ने इन सुझावों को भी स्वीकार किया है कि ट्रेक्टर पर कोई नम्बर नहीं डला था, ट्रेक्टर में ट्राली लगी हुई थी एवं ट्रेक्टर वाला ट्रेक्टर लेकर भाग गया था। साक्षी कहता है कि उसे याद नहीं है कि मामले में रिपोर्ट किसने लिखाई थी। साक्षी आगे कहता है कि ६ ाटना वाले दिन उसके चाचा राजेन्द्र पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल डला रहे थे। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसका ईलाज बिरला हॉस्पीटल ग्वालियर में हुआ था। साक्षी ने उसका कथन का ए से ए भाग ''मैं ग्राम......निकल आया'' पुलिस को देना व्यक्त किया।
- 11. प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 03 में पूरन अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह दुर्घटना के समय ट्रेक्टर चलाने वाले चालक को नहीं पहचान पाया था। साक्षी आगे कहता है कि ना तो उसे उक्त चालक का नाम मालूम है, ना ही उसने उक्त ट्रेक्टर को भागते हुये या खड़ा हुआ देखा है। प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 04 में पूरन अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह अपनी मोटर साईकिल में ब्रेक नहीं लगा पाया था, ब्रेक लगाने से पहले ही ट्रेक्टर से टकरा गया था। इस प्रकार आहत पूरन अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है जो दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी नदीम की पहचान को प्रकट करते हो।
- 12. आहत/साक्षी गुड्डीबाई अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 30/03/2016 से तीन साल पूर्व की होकर जेठ माह की सुबह 09 बजे की है। साक्षी आगे कहती है कि वह मुरैना से अपने पति पूरन के साथ मोटर साईकिल से अपने ग्राम ग्वालियर होकर लटकनपुरा जा रही थी। वह जिस मोटर साईकिल पर सवार थी, उसका नम्बर उसे याद नहीं हैं। साक्षी आगे कहती है कि तभी गुरीखा के पहले पेट्रोल पम्प के पास एक नीले रंग के ट्रेक्टर ने तेजी से आकर उसकी मोटर साईकिल में टक्कर मार दी, जिससे उसके पति का बाये पैर जांघ से लेकर घुटने का फट गया था। उसके सीधे हाथ में कंधे से लेकर कोहनी तक चोट आई थी। उसके बाद वह लोग उपचार हेतु बिरला हॉस्पीटल गये थे। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी।

- 13. प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 02 में गुड्डीबाई अ.सा.04 ने यह दर्शित किया है कि दुर्घटना के समय वह चेहरे पर पर्दा किये हुये थी, इसलिए दुर्घटनाकारित करने वाले ट्रेक्टर को एवं ट्रेक्टर चालक को नहीं देख पाई थी। साक्षी आगे कहती है कि वह दुर्घटनाकारित करने वाले आरोपी को सामने आने पर भी नहीं पहचान सकती। इस प्रकार आहत गुड्डीबाई अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है जो दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी नदीम की पहचान को प्रकट करते हो। इसी प्रकार साक्षी गजेन्द्र गुर्जर अ.सा.08 को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उसने आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।
- अभियोजन साक्षी गजेन्द्र सिंह अ.सा.०६ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 08/05/2013 को पुलिस थाना मालनपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने फरियादी राजेन्द्र सिंह गुर्जर द्व ारा सुबह 10 बजे थाना मालनपुर आकर नीले रंग के ट्रेक्टर चालक के विरूद्ध भदौरिया पेटोल पम्प के सामने ग्रीखा भिण्ड-ग्वालियर लोकमार्ग पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर पूरन गुर्जर की मोटर साईकिल में टक्कर मार देने से पूरन एवं गुड्डी को चोट कारित करने की मौखिक रिपोर्ट लेखबद्ध कराये जाने पर, उसके द्वारा अज्ञात चालक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 96 / 2013 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रति–परीक्षण के पद क्रमांक 02 में गजेन्द्र सिंह अ.सा.06 ने यह दर्शित किया है कि उसे फरियादी राजेन्द्र द्वारा दृध टिनाकारित करने वाले ट्रेक्टर के चालक का हुलिया, टेक्टर का नम्बर या मॉडल नम्बर नहीं बताया था। उल्लेखनीय है कि गजेन्द्र सिंह अ.सा.०६ ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि फरियादी राजेन्द्र अ.सा.०1 या कोई अन्य व्यक्ति दुर्घटना के तुरन्त पश्चात् घटना दिनांक को ही दुर्घटनाकारित करने वाले चालक को पकड़कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखे जाने के पूर्व ही थाने पर ले आये थे। अज्ञात वाहन चालक के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किये जाने के गजेन्द्र सिंह अ.सा.०६ के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की पुष्टि उसके द्वारा लेखबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों से भी हो रही है और इस वावत् उसका न्यायालयीन अभिसाक्ष्य अखण्डित रहा है।
- 15. अभियोजन साक्षी श्रीनिवास यादव अ.सा.07 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 08/05/2013 को थाना मालनपुर में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मालनपुर के अपराध कमांक 96/2013 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि उसने विवेचना के दौरान फरियादी राजेन्द्र की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा—मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके बी स बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही

फरियादी राजेन्द्र, साक्षी गजेन्द्र एवं दिनांक : 29/05/2013 को साक्षी पूरन एवं गुड्डीबाई के कथन उनके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे, जिसमें अपनी ओर से कुछ घटाया—बढ़ाया नहीं था। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 08/05/2013 को घटनास्थल से एक स्वराज ट्रेक्टर नीले रंग का जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.07 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा दिनांक : 30/05/2013 को ही आरोपी नदीम द्वारा एक रजिस्ट्रेशन कमांक सी.आई. जी./3903 की फोटो प्रति, एवं नदीम खॉ के डायिवेंग लाईसेंस की छायाप्रति जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.08 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरोपी नदीम को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.09 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही रामिकशोर का वाहन के संबंध में प्रमाणीकरण लिया गया था, उक्त प्रमाणीकरण प्र. पी.10 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् विवेचना उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

- 16. प्रति—परीक्षण के पद कमांक 03 में श्रीनिवास यादव अ.सा.07 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसे साक्षीगण ने दुर्घटनाकारित करने वाले ट्रेक्टर का नम्बर, ट्रेक्टर चालक का नाम एवं हुलिया नहीं बताया था। प्रति—परीक्षण के पद कमांक 04 में श्रीनिवास अ.सा.07 ने यह दर्शित किया है कि आरोपी दिनांक : 30 / 05 / 2013 को थाने पर स्वयं उपस्थित हुआ था और ऐसा नहीं हुआ था कि आरोपी को फरियादी राजेन्द्र या जनता के किसी व्यक्ति द्वारा घटनास्थल से पकडकर घटना दिनांक को ही थाने पर ले आया गया हो।
- अभियोजन कथा के अनुसार दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के नाम की जानकारी जब्तश्रदा वाहन के पंजीकृत स्वामी रामकिशोर उर्फ रामकिशन अ.सा. 09 द्वारा लेखबद्ध कराये गये प्रमाणीकरण प्र.पी.10 से प्रकट हुई। अभियोजन साक्षी रामिकशोर उर्फ रामिकशन अ.सा.०९ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह वाहन ट्रेक्टर क्रमांक सी.आई.जी. / 3903 स्वराज का पंजीकृत स्वामी था, जिसे उसके द्वारा दिनांक : 10/03/2008 को गुड्डू उर्फ अमर सिंह पुत्र रणधीर सिंह निवासी गोहद को 55 हजार रूपये में बेच दिया था। उक्त टेक्टर के संबंध में उसके द्वारा कोई प्रमाणीकरण नहीं दिया गया। साक्षी को प्रमाणीकरण प्र.पी.10 का दस्तावेज दिखाये जाने पर साक्षी ने उक्त दस्तावेज पर उसकी अंगृटा निशानी ना होना व्यक्त किया। साक्षी आगे कहता है कि उसके सामने आरोपी नदीम खॉ ने श्रीनिवास यादव को ट्रेक्टर कमांक सी.आई.जी. / 3903 स्वराज की रजिस्ट्रेशन की फोटो प्रति एवं ड्रायविंग नदीम खॉ से जब्त नहीं किया था। जब्ती पत्रक प्र.पी.08 पर उसकी अंगुटा निशानी नहीं है। आरोपी नदीम को उसके समक्ष गिरफतार नहीं किया गया था, गिरफतारी पंचनामा प्र.पी.09 पर उसकी अंगुठा निशानी नहीं है। अभियोजन द्व ारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर मुख्य परीक्षण के पद कमांक 02 में साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव से इन्कार किया है कि दिनांक : 08 / 05 / 2013 को ट्रेक्टर क्रमांक सी.आई.जी. / 3903 को आरोपी नदीम खॉ चला रहा

था। तत्पश्चात् साक्षी ने स्वतः कहा है कि उसने उक्त ट्रेक्टर वर्ष 2008 में ही विक्रय कर दिया था। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि आरोपी नदीम खॉ ने उक्त ट्रेक्टर को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर गुरीखा पेटोल पम्प के पास एक मोटर साईकिल में टक्कर मारकर एक पुरूष एवं एक स्त्री को चोटें कारित की। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसने उक्त ट्रेक्टर को सुपुर्दगी पर लेने के लिए आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस प्रकार साक्षी रामिकशोर उर्फ रामिकशन अ.सा.09 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है जो दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी नदीम की पहचान को प्रकट करते हो।

18. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना को दृष्टिगत रखते हुए डॉ.पी.सी.सक्सैना अ.सा.03 एवं डॉ.एस.के.महेश्वरी अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की जा रही है, क्योंकि उक्त साक्षी घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, बल्कि वह केवल अभिमत के साक्षी है।

19. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी नदीम ने दिनांक :— 08/05/2013 को सुबह लगभग 09:00 बजे भदौरिया पेट्रोल पम्प के सामने गुरीखा भिण्ड—ग्वालियर लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के ट्रेक्टर क्रमांक सी.आई.जी./3903 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर फरियादी राजेन्द्र के भतीजे पूरन की मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.06/एम.एफ./4669 में टक्कर मारकर उस पर सवार गुड्डी को उपहति एवं आहत पूरन को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की।

## अन्तिम निष्कर्ष

20. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी नदीम के विरूद्ध धारा 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. के आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलत : आरोपी नदीम को भा.द.सं. की धारा 279, 337 एवं 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 21. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।
- 22. प्रकरण में जब्तशुदा ट्रेक्टर कमांक सी.आई.जी. / 3903 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी रामिकशोन के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगी नामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद (पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद